अधिसूचना से इंडस्ट्री में उत्साह

गुरुग्राम (हप्र) : केंद्र द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जारी की गई नियमों की अधिसूचना ने इस इंडस्ट्री में उत्साह भर दिया है। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया ने केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे मजबूत कदम करार दिया है। साथ ही नए नियमों का स्वागत भी किया है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हेम पांड्ये ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स २०२१ इस इंडस्ट्री के एक नए युग का आगाज हैं। डायरेक्ट सेलिंग नियम आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे।